संख्या-60/सीपी 399/84-2-2013-4(विविध)/2009

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर,2013

विषय जिला उपभोक्ता फोरम, बस्ती एवं कानपुर के अध्यक्ष की शिकायत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित आवेदकगण के शिकायती पत्रों की मूलप्रति (वापसी अपेक्षित) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उल्लिखित शिकायत पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें :-

क्र0सं0	आवदेक का नाम, पत्र संख्या एवं दिनांक	शिकायत/विषय
1	2	3
1	श्री आँधी पुत्र बुद्धू एवं सुग्रीम पुत्र रग्घू निवासीगण ग्राम दुबखरा, पोस्ट कटया, थाना नगर, तहसील व जनपद बस्ती का दिनांक रहित पत्र।	जिला उपभोक्ता फोरम, बस्ती के अध्यक्ष श्री सूर्यनाथ मिश्र द्वारा बरती जा रही अनियमितता, अवैधानिकता, उदासीनता एवं भ्रष्टाचार में आंकठ लिप्त रहने के सम्बन्ध में।
2	श्री सुभाष चन्द्र सूरी वास्ते श्री राजीव रंजन सूरी, 254, घाउखेड़ा चकेरी, कानपुर-8 का पत्र दिनांक 23.09.2013	जिला उपभोक्ता फोरम, कानपुर नगर के अध्यक्ष श्री एल0बी0 सिंह द्वारा गलत आदेश पारित करने एवं उपभोक्ताओं के हित की अनदेखी करते हुए परेशान किये जाने के सम्बन्ध में।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in